राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक
–सह–सचिव, स्वास्थ्य

संचिका संख्याः– SHSB/Gen. Admin/RT/2057/2016

आदेश संख्या : .... **पटना, दिनांक : ....**

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समित, बिहार के द्वारा राज्य में एम्बुलेन्सों के परिचालन हेतु Outsourcing of Centralized Call Centre and Operation and Management of Fleet of Ambulances & Mortuary Vans in Bihar हेतु निविदा का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 22.06.2016 को प्रकाशित किया गया था। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2016 तक कुल चार निविदादाताओं के द्वारा निविदा जमा की गई।

2. निविदा के कंडिका 16 के आलोक में अहर्ता हेतु EMD के रूप में रु० 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) का बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारण्टी जो कि 150 दिनों तक वैध हो जमा किया जाना था। निविदादाता M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna द्वारा कैनरा बैंक, भूतनाथ रोड, पटना के द्वारा निर्गत रु० 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) का बैंक गारण्टी जमा किया गया। उक्त जमा कागजात को निविदा समिति के समक्ष दिनांक 08.08.2016 के बैठक में खोला गया। लिफाफा खोलते समय M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तकनीकी मूल्यांकन समिति के दिनांक 05.09.2016 के कार्यवाही में M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna के द्वारा समर्पित संदेहास्पद कागजातों के जाँच कराये जाने एवं उक्त पर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त के आलोक में प्राप्त कागजात में संलग्न बैंक गारण्टी का सत्यापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 4342 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा कैनरा बैंक, भूतनाथ रोड, पटना से कराने के क्रम में फर्जी पाया गया है। बैंक गारण्टी निर्गत करने वाले बैंक कैनरा बैंक, भूतनाथ रोड, पटना के प्रबंधक ने दिनांक 29.09.2016 को निर्गत पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उनके बैंक द्वारा M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna को रु० 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) की कोई भी बैंक गारण्टी निर्गत नहीं की गई है।

3. उपरोक्त पत्र के आलोक में निविदादाता M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के कार्यालय पत्रांक 6222 दिनांक 27.12.2016 द्वारा फर्जी बैंक गारण्टी जमा करने हेतु स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु उनके द्वारा पत्रांक 535/2016-17 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण का दिया गया। M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बैंक गारण्टी का संख्या अंकित नहीं किये जाने को भूल बताते हुए भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने की बात कही गई है तथा उक्त पत्र में अन्य अप्रासंगिक, अतथ्यात्मक एवं भ्रामक विषयों को अंकित किया गया है। बैंक के द्वारा उनके समर्पित बैंक गारण्टी को फर्जी बताये जाने के बिन्दु पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322.
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों एवं सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि M/s. Hyper Sascom Ltd., 3rd Floor, Sabuz Complex, New Bypass Road, Opp. Sonali (Mahindra Auto), Anishabad, Patna – 800002 ने फर्जी कागजात के आधार पर उक्त निविदा को प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास किया है। विदित हो कि फर्जी बैंक गारण्टी समर्पित करना एक अपराधिक कृत्य है, जिसके लिए निविददाता M/s. Hyper Sascom Ltd., Patna को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति,, जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाते हुए इन्हें 5 (पाँच) वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलम्ब देते हुए सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव एवं जिला पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाये तथा सर्वसाधारण के सूचना हेतु इस आदेश को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी अपलोड कर दिया जाये।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक : 7336 दिनांक 20/2/17

प्रतिलिपि:

1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को कृपया सूचनार्थ समर्पित।
2) सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5) सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
6) सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
7) सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
8) सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
9) अपर कार्यपालक निदेशक/प्रशारी पदाधिकारी/वरीय उपसमाहर्त्ता/अपर निदेशक (वित्त)/वित्त एवं लेखा प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/टीम लीडर– आशा/सभी सलाहकार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
10) सिस्टम एनालिस्ट–कम–डाटा ऑफिसर को सूचनार्थ तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
11) निविदादाता M/s. Hyper Sascom Ltd., 3rd Floor, Sabuz Complex, New Bypass Road, Opp. Sonali (Mahindra Auto), Anishabad, Patna – 800002 को सूचनार्थ प्रेषित।

18.2.2017
सचिव, स्वास्थ्य
–सह–
कार्यपालक निदेशक